न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवभोग **जिला–गरियाबंद(छ०ग०)** **(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती कांची अग्रवाल)**	
दां०प्र०क्र०– 1614/2025 अपराध क्रमांक –117/2025 आरक्षी केन्द्र– अमलीपदर जिला–गरियाबंद छ०ग० प्रकरण संस्थित दिनांक– 15.11.2025 निर्णय दिनांक–03–08–2026	
अभियोजन	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–अमलीपदर, जिला गरियाबंद छ०ग०
अभियोजन के पक्ष में समर्थन हेतु	सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ।
अभियुक्त	**सोहन नायक पिता स्व० दशरथ नायक, उम्र–55 वर्ष, निवासी ग्राम कोदोभांठा, थाना–अमलीपदर, जिला–गरियाबंद छ०ग० ।**
अभियुक्त के पक्ष समर्थन हेतु	श्री घनश्याम पात्र अधिवक्ता ।

घटना का दिनांक	14.10.2025
रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	14.10.2025
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	15.11.2025
आरोप विरचित करने की तिथि	16.12.2025
निर्णय की तिथि	03.08.2026
दोषसिद्ध/दोषमुक्ति की आदेश तिथि	03.08.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त किए जाने का दिनांक	आरोपित धारा	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धी	दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
सोहन नायक	17.10.25	17.10.25	भा0 न्याय सं0 की धारा–296	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

–:अनुक्रमणिकाः–

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय का शीर्षक	01
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	01
3	अपराध विवरण	02
4	अभियोजन का कथानक	03–04
5	अभियुक्त का अभिकथन	04
6	कारण एवं निष्कर्ष	04–06
7	सजा	–
8	सजा में मुजरा की गई अवधि	–
9	संपत्ति का व्ययन	06
10	धारा 468 भा ना सु स के तहत प्रमाण पत्र	07
11	निर्णय की प्रतिलिपि	06

–निर्णय–
(आज दिनांक 03–08–2026 को घोषित)

01. अभियोजन प्रकरण में आरोपी सोहन नायक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा– 351(3), 115(2) में राजीनामा हो जाने के पश्चात भारतीय न्याय संहिता की धारा–296 के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 14.10.2025 को समय 19.00 बजे, स्थान बजरंगबली मंदिर के पास ग्राम कोदोभांठा, थाना–अमलीपदर, जिला गरियाबंद छग क्षेत्रान्तर्गत लोक स्थान पर प्रार्थी दुर्गा नायक को मॉ बहन की अश्लील गाली देकर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ।

02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी दुर्गा नायक ने अभियुक्त सोहन नायक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा–351(3), 115(2) में न्यायालय के समक्ष स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर, दबाव के न्यायालय की

अनुमति से धारा 359(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत राजीनामा किया है ।

03. अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि, प्रार्थी दुर्गा नायक दिनांक 14.10.2025 को थाना उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि, दिनांक 14.10.2025 के शाम करीब 07.00 बजे गांव के बीच चौक में बजरंगबली मंदिर है जहॉ प्रार्थी गांव के भीष्मभारत यादव व गिरधारी नेताम के साथ्ज्ञ बैठकर बातचीत कर रहे थे उसी समय गांव का सोहन नाकय शराब के नशे में बजरंग बली मंदिर के पास आया और प्रार्थी को कहने लगा कि तुम लोग बजरंग बली मंदिर के पास क्यों बैठे हो यहां से चले जाओ बोलने से प्रार्थी ने सोहन नायक को " ये गांव का मंदिर है हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे है" कहने पर सोहन नायक प्रार्थी को मॉ बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्के से पीठ में मारा जिससे प्रार्थी के पीठ में दर्द हो रहा है । प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी का मुलाहिजा सी एच सी अमलीपदर में कराया गया, डॉक्टर द्वारा प्रार्थी को आयी चोट साधरण प्रकृति का होना लेख किया गया । विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार कर, प्रार्थी व गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा अपराध करना सबूत पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर, प्रकरण जमानतीय होने से आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया । प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया

गया।

04. अभियुक्त को आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध किया जाना अस्वीकार किया। अभियुक्त ने धारा 351 भा ना सु स/ 313 द०प्र०सं० के अंतर्गत निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया ।

05. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है–

क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.10.2025 को समय 19.00 बजे, स्थान बजरंगबली मंदिर के पास ग्राम कोदोभांठा, थाना–अमलीपदर, जिला गरियाबंद छग क्षेत्रान्तर्गत लोक स्थान पर प्रार्थी दुर्गा नायक को मॉ बहन की अश्लील गाली देकर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार//

06. अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में 01 साक्षी का न्यायालयीन परीक्षण एवं 04 दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित करवाया गया है ।

07. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी दुर्गा नायक द्वारा अभियुक्त सोहन नायक के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा– 351(3), 115(2) में राजीनामा हो गया है व केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा– 296 के आरोप पर विचार किया जाना है । अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में प्रार्थी दुर्गा नायक को **(अ०सा०–01)** के रुप में न्यायालयीन परीक्षण कराया गया है। **(अ०सा०–01)** ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त

किया है कि वह अभियुक्त को पहचानता है, क्योंकि अभियुक्त उसका जीजा है । घटना दिनांक को उसका आरोपी के साथ वाद विवाद, धक्का मुक्की हो गया था, जिसके कारण उसने थाना अमलीपदर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

08. प्रार्थी दुर्गा नायक **(अ०सा०–01)** के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट **[प्र०पी०–02]** से नहीं होती है । **(अ०सा०–01)** का अभियोजन का समर्थन न करने पर अभियोजन द्वारा उससे प्रतिपरीक्षण के समान प्रश्न पूछने पर प्रार्थी दुर्गा नायक **(अ०सा०–01)** ने इस बात से इंकार किया है कि, घटना दिनांक को अभियुक्त ने उसे मॉ बहन की अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी । प्रार्थी दुर्गा नायक **(अ०सा०–01)** ने इस बात से भी इंकार किया है कि, वह प्रकरण में आरोपी के साथ राजीनामा कर लिया है इसलिए झूठा बयान दे रहा है और सही बात नहीं बता रहा है ।

09. प्रार्थी दुर्गा नायक **(अ०सा०–01)** ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्त पर आरोपित अपराध से इंकार किया है। साथ ही प्रार्थी दुर्गा नायक **(अ०सा०–01)** का राजीनामा हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षियों या स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी का न्यायालयीन परीक्षण नहीं कराया गया है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं प्रार्थी दुर्गा नायक ने इस बात से इंकार किया है कि अभियुक्त उसे मॉ बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली गलौज किया था। प्रकरण में संभावित है कि प्रार्थी दुर्गा नायक **(अ०सा०–01)** व आरोपी का राजीनामा हो जाने से वह न्यायालय में सच बात नहीं बताया है । दाण्डिक

कार्यवाही में अभियोजन को अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित करना होता है एवं संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः साक्ष्य के अभाव में **अभियुक्त सोहन नायक पिता स्व० दशरथ नायक, उम्र–55 वर्ष, निवासी ग्राम कोदोभांठा, थाना अमलीपदर, जिला–गरियाबंद छ०ग०** को संदेह का लाभ देते हुए **धारा 296 भारतीय न्याय संहिता** के आरोप से **दोषमुक्त कर स्वतंत्र** किया जाता है।

11. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है ।

12. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारोन्मोचित किए जाते हैं तथा धारा 351 भा. ना. सु. सं. के परिपालन मे प्रस्तुत मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा तत्पश्चात अपील ना होने की दशा में 6 माह उपरांत निरस्त माना जायेगा।

13. अभियुक्त के द्वारा विचारण के दौरान बिताई गई अवधि का अलग से धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया गया जो निर्णय का भाग होगा एवं अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि निरंक है । सही/–

14. निर्णय की प्रति सहायक जिला अभियोजन अधिकारी को निःशुल्क प्रदान की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित किया गया ।

सही/–

(श्रीमती कांची अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवभोग, जिला गरियाबंद छ०ग०
स्थान–देवभोग

मेरे निर्देश में टंकित किया गया ।

सही/–

(श्रीमती कांची अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवभोग, जिला–गरियाबंद छ०ग०

दिनांक–03.08.2026

COURT OF KANCHI AGRAWAL, JUDICIAL MAGISTRATE

FIRST CLASS, DEOBHOG GARIYABAND, C.G

POLICE STATION: AMLIPADAR, GARIYABAND
CRIME NO.: 117/2025
CRIMINAL CASE NO.: 1614/2026
DATE OF JUDGMENT: 03-08-2026

CERTIFICATE OF PERIOD OF DETENTION UNDERGONE BY THE ACCUSED UNDER SECTION 428 CRIMINAL PROCEDURE CODE/468 बी एन एस एस

Details of accused: सोहन नायक पिता स्व० दशरथ नायक, उम्र–55 वर्ष, निवासी ग्राम कोदोभांठा, थाना–अमलीपदर, जिला–गरियाबंद छ०ग० ।

A. Police custody

1. Date of arrest – 17.10.2025
2. Date of production in court – -
3. Duration of Police Custody – 0 days

B. Judicial custody

1. Date of production in court – -
2. Date of release on bail – 17.10.2025
   (Through Police Station)
3. Duration of judicial custody – 0 days

C. **Total duration of custody** – 0 days

Place: Deobhog
Date: 03.08.2026

सही/–
(Kanchi Agrawal)
Judicial Magistrate First Class,
Deobhog, Gariyaband, C.G.